

परिशिष्ट-एक

प्रपत्र-1(क) शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के प्रभावी होने से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों
हेतु।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों को पूर्ण करने
विषयक स्वघोषणा पत्र

उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के
नियम-17(क) को देखें

(स्थान) कोट्टदार
दिनांक:

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद- पाठी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

भाषोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में
वर्णित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में मैं एक स्वघोषणा करता/करती हूँ एवं
विहित प्रपत्र में (विद्यालय का नाम एवं पता) ~~कोट्टिज स्कॉल्स इंडिया स्कूल गाडीखार~~ में मानक एवं
मानदण्डों को पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु स्वघोषणा पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

स्थान:
दिनांक:

संलग्नकों का विवरण:

विद्यालय प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/
द्यवस्थापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

Managing Director
Hemant Kulkarni
Kottdar
Kolkwara

स्वाधीनणा—प्रपत्र

(क) विद्यालय—विवरण	
1 विद्यालय का नाम	हारिटेज स्कॉल
2 शैक्षिक सत्र	२०१४-१५
3 जनपद	सोडी गाड्डाल
4 पत्राचार का पता	भारती अवल जाइ छाट. कोटड्डार
5 वाडे	०३
6 गांव/नगर	बंगर
7 तहसील	कोटड्डार
8 पिन कोड	२४६१६३
9 दूरभाष से ० एस०टी०डी० कोड के साथ	०१३८२-२२९८७६
10 फैक्स नं	०१३८२-२२४१२५
11 ई-मेल पता (यदि हो)	भैरभेन७ हारिटेज स्कॉल कोटड्डार.जॉन वाला कोटड्डारी कोटड्डार
12 निकटसम पुलिस स्टेशन	

(ख) सामान्य सूचनाएँ	
1 स्थापना का वर्ष (भान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित घायाप्रति संलग्न करें)	२०११
2 पहली बार विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि	०५.०५-२०११
3 द्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति का नाम	मुजल्दी लालबरीला है सोसाइटी
4 द्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति का पंजीकरण संख्या (पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें)	२४६१२०११-१२
5 द्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के पंजीकरण की वैधता अवधि(पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें)	०५ वर्ष
6 विद्यालय के संचालन/अध्यक्ष/प्रबन्धक के कार्यालय का पता नाम पदनाम पता दूरभाष संख्या	हारिटेज स्कॉल जाइ छाट. कोटड्डार ले. लेनल कुवर ऊजम सेहौ प्रबन्धक हारिटेज स्कॉल कोटड्डार (कार्यालय) वै५५५३६३७ (आवास) १११०२४८८७७८ KUNWAR १२४७ ५५५८०८०८०
ई-मेल पता	

(ग) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र	
1 शिक्षण का माध्यम	अंग्रेजी
2 विद्यालय का प्रकार (भान्यता के अनुसार प्रथम एवं अन्तिम कक्षा का उल्लेख करें)	अस्सी से कला छाट
3 क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है?	किराये का भवन
4 क्या विद्यालय भवन/अन्य आधारभूत संरचनाएँ/मैदान, केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए उपयोग की जाती हैं?	है
5 विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	४०९० sq. mt.


 Managing Director
 Hemant Singh
 Kurnoor

6	निमित भवन का क्षेत्रफल		3000 Sq. mtr
7	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या—क्या सुविधाएँ/ संरचनाएँ उपलब्ध हैं?	मैदान, झूले, स्क्रीन, पूल विभिन्न रोड, नूलभूले आदि	
8	क्या विद्यालय राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण कुछ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? यदि हाँ, तो अभिलेख संलग्न करें (संलग्नक संख्या	काही	

(ए) वर्तमान में नामांकन की स्थिति				
	कक्षा	अनुभागों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
1	पूर्ण प्राथमिक	3	60	5
	1	2	34	3
	2	2	36	3
	3	1	15	2
	4	1	13	2
	5	1	10	2
	6	1	10	2
	7	1	04	2
	8	1	-	2

(ब) आधारभूत संरचना तथा स्वच्छता सुविधाओं का विवरण			
	कक्ष	संख्या	आसत आकार
1	कक्ष—कक्ष	14	8'x8'-25'x20' लम्बा
2	कार्यालय सह मण्डार सह प्रधानाध्यापक कक्ष	6	12'x8'-12'x10', 15'x10' 12'x14'-03, 12'x18'-02 10'x12'-01
3	खेल का मैदान	2	4000 Sq. mtr

(छ) अन्य सुविधाएँ			
	प्रश्न	प्रत्येक कक्ष की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है?	संभापित प्राप्ति संलग्न
1	क्या विद्यालय में सभी सुविधाएँ अवश्य राहित पहुंच के अन्तर्गत हैं?	हाँ	
2	क्या प्रत्येक कक्ष की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है?	हाँ	—/—
3	क्या प्रत्येक कक्ष की आवश्यकतानुसार खेल—कूद सामग्री उपलब्ध है?	हाँ	—/—
4	क्या विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा है? यदि हाँ, तो क्या पुस्तकालय में समाचार पत्र, पत्रिकाएँ एवं कहानी की पुस्तकों के साथ सभी विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध हैं?	हाँ	—/—
5	क्या सभी बच्चों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध है?	हाँ	
6	क्या बालक एवं बालिकाओं हेतु आवश्यकतानुसार अलग—अलग शौचालयों की व्यवस्था है? यदि हाँ तो—	हाँ	
(1)	बालकों के लिए अलग शौचालय की संख्या	3	

	(ii) बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की संख्या	3
7	क्या निश्चित बच्चों हेतु ऐप्प एवं रेलिंग तथा विशेष शौचालय की व्यवस्था है?	है
8	क्या विद्यालय में अग्रिन से बचाव की व्यवस्था है?	है
9	क्या विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी या Fencing की व्यवस्था है?	है

पाठ्यधर्यों एवं पाठ्यक्रम									
(ज)									
1 क्या विद्यालय में एन०सी०ई०आर०टी०/एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड/सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० का पाठ्यक्रम का संशोधन किया जाता है?									है, इन सी.ई.टी.टी.
2 क्या छात्रों के आकलन की पद्धति अधिनियम के प्रावधानानुसार है (धारा-29)									है
3 क्या विद्यालय के छात्रों को कक्षा-8 तक किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है?									नहीं
कक्षावार प्रतिभात्र शुल्क									
कक्षा	पूर्व प्राथमिक	1	2	3	4	5	6	7	8
अधिकतम शिक्षण शुल्क	1400	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500 -
शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्कों का मदवार विवरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट:- उपरोक्तानुसार घोषित राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ड. अन्य घोषणाएँ-

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ऐसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, द्वारा समय-समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन, जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायर्स) में सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-23 में उल्लिखित प्रावधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, ऐसे अध्यापक जो अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से कार्यरत हैं और अधिनियम के अनुसार न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं, उन्हें मार्च, 2015 तक न्यूनतम योग्यता अर्जित करा लेगा।
- (3) विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निहित मानक एवं मानदण्डों को स्थापित रखेगा;
- (4) विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा तदन्तर्गत अधिसूचित उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के समर्त प्राविधानों का पालन करेगा; मुख्य रूप से विद्यालय

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निहित मानक एवं मानदण्डों को रखेगा;
- (5) विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय को छोड़कर) अपने निकट (पडोस) के अपवांशित वर्ग तथा कमज़ोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों की सीमा तक प्रवेश देगा।
 - (6) प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे;
 - (7) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुबोधन प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे;
 - (8) मैं घोषणा करता हूँ कि विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के धारा-19 में उल्लिखित अनुसूची के निर्धारित मानक एवं मानदण्डों एवं धारा-25 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण कर लिया गया है।
 - (9) मैं शापथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान में सही हैं तथा यदि उक्त वर्णित तथ्यों में से कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो विभाग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन नियमानुसार मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

नोट:- उपरोक्त स्वघोषणा पत्र रु0 100.00 के नोटराइज़ड स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक:—.....

विद्यालय का स्थलीपुर नियमित के
अधिकारपर कक्षा नं० १ से कक्षा ४ तक
मान्यता (अंग्रेजी-माध्यम) के संस्कृत

50/-
 विद्यालय प्रबंधन समिति के
 अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
 विद्यालय का नाम एवं पता

[Signature]

Managing Director
 Hemant Chaturvedi
 Kuvvara

[Signature]
 अपड़ लिया अधिकारी
 दुग्दडा पोडी गढ़वाल

परिशिष्ट— दो
प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के
नियम-17(क) को देखें

ई—मेल:

दूरभाषः

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी फैक्सः
(जनपद का नाम) उत्तराखण्ड

पत्रांकः—

दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
(विद्यालय का नाम एवं पता)

विषयः

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के
प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013
के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों
को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक के क्रम
में आपके विद्यालय

..... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के
अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
निर्गत किया जाता है। जनपद—..... में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या.....
है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन
दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार
विद्यालय की मान्यता / अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद—.....
उत्तराखण्ड।